

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00425

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बजईलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पिठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 20/2019 (देवेन्द्र वगैरह बनाम किरणकुमार वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 07.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.08.2021 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कंबजा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/22 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिकी दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 07.02.2022 को जारी की गई।



(साधुराम जाट)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर